

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Application No. 171/2025

Chhagan Kanwar Widow Of Sultan Singh

----Petitioner

Versus

Ramsingh S/o Late Narayan Singh

----Respondent

---

For Petitioner(s) : Ms. Aradhana Swami

For Respondent(s) :

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**19/01/2026**

प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2025 जो कि कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप को दूर करने के सम्बन्ध में पेश किया गया है, पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उन्होंने यह सिविल विविध प्रार्थना-पत्र केवल विक्रम सिंह जो कि सिविल अपील संख्या 161/2022 में अपीलार्थी संख्या-4 था की ओर से प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में कार्यालय द्वारा अन्य अपीलार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने सम्बन्धी जो आक्षेप लगाया गया है, उसे दूर किया जावे।

विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों के प्रकाश में प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप दूर किए जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार आगामी कार्यवाही करे।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /90